न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1 / 2022 (पी.डी.आर.)

मैसर्स फतेहसिंह चौहान जरिये एकल स्वामी फतहसिंह चौहान ए–श्रेणी कॉन्ट्रेक्टर, सलावटवाडा, पोस्ट कारकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

..........अपीलान्ट

बनाम

अधि ाशी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, डूंगरपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23 (ए) पी.डी.आर. एक्ट
विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर उदयपुर
दिनांक 23–12–2021 प्रकरण संख्या 2 / 2020

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री तरूण श्रीमाल अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय दिनांक 16–08–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने हाल अपीलान्ट के विरूद्ध पी.आर.एक्ट. के तहत बाकीयात 17,72,519 / – रू. वसूली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाकीदार मैसर्स फतेहसिंह चौहान को जरिये नोटिस तलब कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

मैसर्स फतेहसिंह चौहान के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8, पी.डी.आर. एक्ट, 1952 प्रस्तुत कर दायित्व को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विभाग द्वारा Rehabilitation of Dam & Canal of Suri Under Rajasthan Minor Irrigation Improvement Project (RAJAMIIP) कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें संवेदक द्वारा भाग लिया गया एवं न्यूनतम होने से विभाग द्वारा आपत्तिकर्ता को कार्य आदेश प्रदान किया गया एवं उपरोक्त वर्णित कार्य के सम्बन्ध [illegible] एवं विपक्षी के मध्य संविदा संख्या 68 / 2010–2011 निष्पादित की गयी। संविदा के अनुसार कार्य प्रारम्भ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested

की दिनांक 25–02–2011 एवं कार्य समाप्ति की संभावित दिनांक 24–02–2012 नियत की गयी। बाकीदार द्वारा कार्य स्थल पर मशीनरी एवं स्टाफ नियुक्त किया जाकर कार्य प्रारम्भ किया गया। संवेदक द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता एवं मशीनरी से सहायक अभियन्ता द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण किया गया, जिसके संबंध में सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 24–08–2012 को अधिशाषी अभियन्ता को पत्र लिखकर शेष कार्य विड्रो किये जाने की प्रार्थना की गयी एवं संविदा अवधि में किसी प्रकार का कोई विस्तार प्रदान नहीं किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 05–11–2012 को सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशाषी अभियन्ता को कार्य विड्रो हेतु लिखा। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सुप्रीटेन्डेन्ट डब्ल्यूआर कंस्ट्रक्शन सर्कल, उदयपुर को दिनांक 12–11–2012 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि संवेदक द्वारा 28.39 लाख रूपये का कार्य निष्पादित कर दिया गया है तथा संविदा के तहत शेष बचे कार्य को विड्रो करने हेतु लिखा गया। संविदा की धारा 23 के अुनसार पक्षकारों के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय एमपार्वड स्टेण्डिंग कमेटी फोर सेटलमेन्ट ऑफ डिस्पुट के माध्यम् से किये जाने का प्रावधान है, परन्तु उक्त शर्त का उल्लंघन विभाग द्वारा किया गया है। संविदा की धारा 2 के तहत यदि विपक्षी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो विभाग द्वारा संविदा अवधि के दौरान समय–समय पर 1 प्रतिशत या उससे कम शास्ति आरोपित की जानी चाहिए थी। संविदा की धारा 3 के तहत यदि अन्य एजेन्सी से कार्य करवाया गया है तो इस बाबत् कोई नोटिस विपक्षी को नहीं दिया गया है एवं अन्य ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया गया है, वह भी संवेदक द्वारा छोड़े गये कार्य से भिन्न है। अतः संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8, पी.डी.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर वसूली की कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–12–2021 से अप्रार्थी मैसर्स फतेहसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 पी.डी.आर. एक्ट खारिज कर दिया तथ प्रकरण में विभागयी बाकीयात राशि 17,72,519/– रू. वसूली के आदेश दिये, जिससे रूश्ट होकर अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–02–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान ने अपनी उपस्थिति दी एवं बहस में भाग लिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य सम्पन्न संविदा की धारा 23 के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का हवाला दिया गया है, जबकि पक्षकारों के मध्य सम्पन्न संविदा द्विपक्षीय संविदा है और यदि रेस्पोन्डेन्ट का कोई क्लेम अपीलान्ट के विरूद्ध है तो रेस्पोन्डेन्ट को धारा 23 के तहत क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य सम्पन्न संविदा की धारा 23 का निर्वचन करने में भारी भूल की है। पक्षकारों के मध्य संविदा दिनांक 24–02–2012 को समाप्त हो गयी उसके पश्चात् रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त संविदा की समयावधि विस्तार संविदा की धारा 5 अनुसार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही पक्षकारों के मध्य निष्पादित संविदा के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा कभी भी संविदा में वर्णित कार्य नहीं किये जाने बाबत् रेस्पोन्डेन्ट से नहीं कहा गया। अपीलान्ट सदैव संविदा अन्तर्गत कार्य करने हेतु तत्पर था, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा शेष कार्य विड्रो करने हेतु लिखा गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त कार्य करने हेतु बाध्य नहीं था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध वसूली का आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 1987 एस.सी. पेज 1359 एवं (1992) डब्ल्यू.एल.एन. 195 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट से विभाग द्वारा कार्य विड्रो के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया था, कार्य विड्रो के संबंध में पत्राचार मात्र एक आन्तरिक विभागीय कार्यवाही थी, जिससे अपीलान्ट का कोई लेना–देना नहीं था। संविदा की अवधि में समय–समय पर विस्तार किया गया था। अपीलान्ट को बार–बार लिखे जाने के बावजूद पुनः कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण दिनांक 08–11–2012 को अंतिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:44:32 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस जारी किया गया, किन्तु अपीलान्ट द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं देने एवं कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की धाराओं के अनुरूप ही संविदा के क्लॉज 2 व 3 के तहत कार्यवाही की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''संवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें कार्य को रोके जाने बाबत् उसे लिखित में सूचना दी गयी हो। संवेदक ने कार्यालय के आपसी पत्राचार मात्र को ही आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। संविदा के क्लॉज 2 व 3 में Compensation for Delay एवं Risk and Cost का प्रावधान है तथा क्लॉज 50 में पी.डी.आर. के तहत वसूली का प्रावधान लिखा है। क्लॉज 23 के तहत Standing Committee के पास भी विपक्षी ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। क्लॉज 17 में Contractor liable for damage done and for imperfection दिया गया है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आधारों पर अपीलान्ट का धारा 8 पी.डी.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार का उसके विरूद्ध बाकीयात की वसूली का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध प्रकट होता हो। अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होता हैं। समग्रता हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बकाया वसूली के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–12–2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर